कार्यालय जिलाधिकारी सम्भल

पत्रांकः 1623/नाजिर सदर/ 2016–17/शीतलहर–कम्बल दिनांक 29 .11.2016

निविदा सूचना

जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक–29–11–2016 के अनुपालन में जनपद सम्भल में शासनादेश स0 1200/01.10.2016–12(34)/03 टी0सी 0–1 राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांक 07 नवम्बर 2016 के अर्न्तगत कम्बलों की आपूर्तिकर्ता हेतु निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं।

1–सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–8/2016/548/ 18–2–2016–12 (एस0पी0)/2010 दिनांक 12 अगस्त, 2016 जो कि सरकारी विभागों एवं शासकीय नियन्त्रणाधींन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वयतशासी संस्थाओं (जिन्हें आगे क्रेता एजेन्सी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता के सम्बन्ध में है, में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल का क्रय किया जायेगा।

2–क्रय किये जाने वाले कम्बलों का दर पूर्व में निर्धारित दर 500 से अधिक न हो तथा मानक लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौड़ाई कम से कम 140 140 से0मी0 तथा वनज कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का उपयोग नहीं होना चाहिए। क्रय किये जाने वाले कम्बलों की उपरोक्तानुसार गुणवत्ता होगी।

3–मुहरबन्द लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ निविदाकर्ता का पूरा नाम तथा पता अंकित हो।

4–निविदायें साधारण पंजीकृत डाक से भेजी जा सकती है।

5–निविदा देने से पूर्व कम्बल के सम्बन्ध में जानकारियां लेनी चाहिए।

6–निविदा में कम्बल की कीमत, लम्बाई, चाड़ाई व ऊन की मात्रा स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए और कम्बल का सैंपिल एवं में दिखाना होगा।

7–शर्तानुसार निविदा स्वीकार की जायेगी।

8–विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

9–निविदा अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा अथवा उनके मनोनीत अधिकारी द्वारा उसी दिन दिनांक 07/12/16 को सांय 4–00 बजे खोली जायेगी।

10–बिना कारण बताये सक्षम अधिकारी को समस्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

11–अद्योहस्ताक्षरी सबसे कम रकम वाली निविदा के अथवा किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए अस्वीकृत करने का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
जिला सम्भल

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1–जिला सूचना अधिकारी सम्भल को निशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

2–सम्पादक दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान को इस आश्य से कि उक्त निविदा की सूचना अपने अपने समाचार पत्रों में एक बार प्रकाशित करने का कष्ट करें।

3–समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद सम्भल को सूचनार्थ।

4–नाजिर सदर सम्भल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रचार प्रसार हेतु

29/XI/16

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
जिला सम्भल